न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/2025 निर्णय दिनांकः– 28-07-25
(जीसीएमएस संख्या 2025/122)

1. चेतराम पुत्र हजारीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. भूराराम पुत्र हजारीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
3. हंसराज पुत्र हजारीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
4. रामप्रताप पुत्र हजारीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
5. रामेश्वरलाल पुत्र हजारीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
6. मदनलाल पुत्र हजारीराम पुत्र लालूराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. लिछमा बैवा हजारीराम जाति कुम्हार साकिन चक 2 केएसआर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. परमेश्वरी पत्नी सोहनलाल पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार साकिन चक 3 ई तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. भागवती देवी पत्नी ओम प्रकाश पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार साकिन आलमगढ तहसील अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)।
4. विमला देवी पत्नी प्रेम कुमार पुत्री हजारीराम जाति कुम्हार साकिन भागसर तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजूवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 26–10–1999
सहायक आयुक्त उपनिवेशन छत्तरगढ मुकाम बीकानेर।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय कुमार पारीक, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4
3. श्री मिलापचंद धत्तरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ मुकाम बीकानेर के आदेश दिनांक 26–10–1999 जिसके द्वारा अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि किश्तों के अभाव में एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांटस् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट्स के पिता को दिनांक 02–02–1994 को चक 12 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 19/35, 19/37 तथा 19/43 की तादादी 75 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन बतौर विशेष आवंटन किया गया था जिसकी पालना में अपीलांट्स के पिता द्वारा 35 प्रतिशत राशि खजानाराज में दिनांक 13–06–1996 को जमा करवा दी गई थी तथा अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन आदेश भी प्राप्त हो चुका था। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन किश्तें जमा नहीं करवाने के कारण खारिज कर दिया गया। अपीलांट्स के पिता/अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में अपीलांट्स के पिता को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। यदि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन किसी अन्य व्यक्ति को किया जा चुका हो तो भी अपीलांट्स आज भी सीमान्त किसान होने के कारण विशेष आवंटन नियमों के तहत भूमि पाने का अधिकारी है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट्स के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट्स के पिता का आवंटन खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 209, आरआरडी 1994 पेज 277, आरआरडी 1994 पेज 291 आदि के न्यायिक दृष्टांत पेश किये गये।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 ने अपीलांट्स के कथनों का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 के पति/पिता को जो नोटिस भेजा गया था उसकी तामील करवाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बकाया राशि जमा करवाने का जो नोटिस अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 के पति/पिता को प्रेषित किया गया था उक्त नोटिस में महज 15

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

दिवस में उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया था जो किसी भी तरह से संभव नही था। अतः एकतरफा तौर पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1984 पेज 215 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–1999 के विरूद्व अपील दिनांक 22–04–2025 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियाद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 4 के पति/पिता को आवंटित भूमि का आवंटन बकाया राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट्स किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन किया गया।

7. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–1999 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 22–04–2025 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्वेश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या से एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। मियांद कानून लोक नीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

उपचार जीवित रहने चाहिए। इस संबंध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत एवं प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट्स के पिता ने आवंटन अधिकारी के समक्ष बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर तहसील पूगल में चक 12 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 19/35, 19/37 एवं 19/43 तादादी 75 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटन की मांग की गई थी जिस पर आवंटन अधिकारी ने अपीलांट्स के पिता को दिनांक 02–02–1994 को आवेदित भूमि का आवंटन कर दिया गया जिसकी पालना में अपीलांट्स के पिता द्वारा आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान नम्बर 121 व 122 दिनांक 13–06–1996 द्वारा जमा करवा दी गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट द्वारा बावजूद सूचना के भी आंवटित भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। अतः आवेदक का आवंटन निरस्त किया जाता है। इसके विपरीत अपीलांट्स का मुख्य कथन है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स के पिता को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। यदि किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी भी किया गया है तो विधिवत रूप से उसकी तामील अपीलांट को नहीं करवाई गई है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

इस संबंध में हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों से साबित है कि अपीलांट्स के पिता द्वारा तहसील पूगल में चक 12 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 19/35, 19/37 एवं 19/43 तादादी 75 बीघा अनकमाण्ड भूमि की

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मांग की गई थी जिस पर आवंटन अधिकारी ने अपीलांट्स के पिता को दिनांक 02–02–1994 को आवेदित भूमि का आवंटन कर दिया गया जिसकी पालना में अपीलांट्स के पिता द्वारा आवंटित भूमि की 35 प्रतिशत राशि जरिये चालान नम्बर 121 व 122 दिनांक 13–06–1996 द्वारा जमा करवा दी गई। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के पिता को आवंटित भूमि का आवंटन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आवेदक ने बावजूद सूचना के भी आवंटित भूमि की बकाया राशि जमा नहीं करवाई है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नोटिस अपने कार्यालय के कमांक 20383 दिनांक 11–10–1999 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई विधिवत नोटिस तामील की सुनिश्चितता आवंटन अधिकारी द्वारा की गई हो।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1994 पेज 291 में भी यह अभिलिखित किया गया है कि:–**Rajasthan Colonisation (Allotment and Sale of Govt Land in the Indira Gandhi Canal Colony Area) Rules, 1975, Rule 17(8)-According to the policy and the instructions issued by the State Govt permanent allotment should not be cancelled merely for default in payment of instalments-Applicant given three months time to clear all outstandings in lump sum failing which revision would be automatically treated as dismissed.**

7. अतः उक्त नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 26–10–1999 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पाये जाने पर अपीलांट के आवेदन पत्र पर पुनः नये सिरे से नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 28-07-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर